भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 634
दिनांक 03 फरवरी, 2026 / 14 माघ, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

मादक पदार्थों की जब्ती

†634. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
श्री नरेश गणपत म्हस्के:
श्री श्रीरंग आप्पा चंद्रू बारणे:
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर:
श्रीमती भारती पारधी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2020 से हेरोइन, गांजा, कोकीन और सिंथेटिक ड्रग्स जैसे मादक पदार्थों की जब्ती के संबंध में आंकड़ों का ब्यौरा क्या है और एनसीबी द्वारा संयुक्त अभियानों के माध्यम से मादक पदार्थों के अवैध व्यापार नेटवर्क या मॉड्यूल के आंकड़ों का पता लगाया गया है और इसका वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान स्वापक नियंत्रण और मादक दवाओं की मांग में कमी लाने के कार्यक्रमों के लिए आवंटित, स्वीकृत, संवितरित और व्यय की गई निधि के वर्ष-वार और राज्य-वार आंकड़े क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं और तटीय क्षेत्रों में मादक पदार्थों की तस्करी और ड्रग की तस्करी को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी के मार्गों का पता लगाने के लिए उपग्रह इमेजिंग, ड्रोन निगरानी और उच्च तकनीक वाले सेंसरों का उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार पड़ोसी देशों और वैश्विक एजेंसियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 634 दिनांक 03.02.2026

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) विभिन्न मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों (डीएलईए) द्वारा स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) को दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2020 से 2025 (नवंबर तक) के दौरान जब्त किए गए मादक पदार्थों का वर्ष और राज्य-वार ब्योरा अनुलग्नक-I में दिया गया है। एनसीबी मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोहों के विरूद्ध समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए राज्य और केंद्रीय मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसियों के साथ नियमित रूप से संयुक्त अभियान चलाता है, हालांकि, संयुक्त अभियानों के माध्यम से पकड़े गए मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क या मॉड्यूल का वर्ष-वार और राज्य-वार समेकित आंकड़े एनसीबी द्वारा अलग से नहीं रखे जाते हैं।

(ख) वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान 'राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए सहायता' योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का वर्ष-वार बजट आवंटन और राज्य-वार ब्योरा अनुलग्नक-II में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJ&E) के माध्यम से मादक पदार्थ मांग न्यूनीकरण हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPDDR) का क्रियान्वयन कर रही है, जिसके अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है- (i) राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश (UT) प्रशासनों को निवारक शिक्षा एवं जागरूकता सृजन, क्षमता निर्माण, कौशल विकास, पूर्व नशा-आश्रितों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं आजीविका सहायता, तथा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा मादक पदार्थ मांग न्यूनीकरण से संबंधित कार्यक्रमों के लिए; और (ii) गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों (NGOs/VOs) को नशा-आश्रितों के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्रों (IRCAs) के संचालन एवं रखरखाव हेतु, किशोरों में प्रारंभिक नशा उपयोग की रोकथाम के लिए समुदाय आधारित सहकर्मी-नेतृत्व हस्तक्षेप (CPLI), आउटरीच एवं ड्रॉप-इन केंद्रों (ODIC), सरकारी अस्पतालों में व्यसन उपचार सुविधाओं (ATFs) तथा चिन्हित जिलों में जिला नशामुक्ति केंद्रों (DDACs) के संचालन के लिए। पिछले पाँच वर्षों के दौरान आवंटित एवं जारी की गई निधि का विवरण निम्नानुसार है: -

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 634 दिनांक 03.02.2026

वित्तीय वर्ष	**आवंटित निधि (करोड़ रुपये में)**	**जारी धनराशि (करोड़ रुपये में)**
2020-21	150	149.34
2021-22	200	90.93
2022-23	200	97.52
2023-24	175	172.71
2024-25	240	266.69

स्रोत: एमओएसएंडजेई

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएंडएफडब्ल्यू) 06 नशामुक्ति उपचार केंद्रों (डीएटीसी) के माध्यम से मादक पदार्थ सेवन विकार के लिए उपचार (ओपीडी और आईपीडी) तथा परामर्श सेवाएं प्रदान करता है और सरकारी अस्पतालों में स्थापित 25 नशा उपचार क्लीनिकों (डीटीसी) के माध्यम से जिला स्तर पर उपचार (ओपीडी) और परामर्श सेवाएं प्रदान करता है। इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए पिछले पांच वर्षों के दौरान आवंटित और जारी/वितरित धनराशि निम्नानुसार है: -

वित्तीय वर्ष	**आवंटित निधि (करोड़ रुपये में)**	**जारी/वितरित धनराशि (करोड़ रुपये में)**
2020-21	53.00	48.68
2021-22	54.94	52.34
2022-23	57.69	56.95
2023-24	81.80	80.59
2024-25	78.90	73.52

स्रोत: एमओएचएंडएफडब्ल्यू

भारत सरकार ने राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के माध्यम से नियंत्रित मादक पदार्थ के दुरुपयोग को रोकने के लिए राष्ट्रीय कोष (एनएफसीडीए) का गठन किया है, जिसके तहत नशीली दवाओं, मन:प्रभावी पदार्थों की अवैध तस्करी से निपटने, मादक पदार्थों के दुरुपयोग को नियंत्रित करने, नशामुक्ति और नशा करने वालों के पुनर्वास तथा मादक पदार्थों के बारे में जागरूकता कार्यक्रमों आदि के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं। पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान एनएफसीडीए के तहत स्वीकृत निधियों का ब्योरा इस प्रकार है:-

वित्तीय वर्ष	संगठन	स्वीकृत राशि (रुपये में)
2020-21	उत्पाद शुल्क एवं मादक पदार्थ विभाग, मिजोरम सरकार	48,90,000
2021-22	पुलिस विभाग, मिजोरम सरकार	1,30,83,900
2022-23	सीआईडी के पुलिस अपर महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश	50,00,000
	सामाजिक सेवा कला समूह, गैर सरकारी संगठन, नई दिल्ली	7,92,375
2023-24	निमहंस, बेंगलुरु	6,26,721
	समाजशास्त्र विभाग, एनबीबीजीसी, सिक्किम	9,35,000
	उत्तराखंड पुलिस, उत्तराखंड सरकार	5,00,000
2024-25		शून्य

स्रोत: राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय

(ग) से (ङ): सरकार ने, विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर और तटीय क्षेत्रों में, स्वापक पदार्थों की तस्करी और मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए, सीमावर्ती क्षेत्रों में मादक पदार्थों की तस्करी का पता लगाने के लिए प्रौद्योगिकियों के उपयोग और पड़ोसी देशों तथा वैश्विक एजेंसियों के साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं: -

(i) मादक पदार्थों की तस्करी संबंधी विभिन्न मामलों, जिनका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव पड़ता है, का समाधान करने के लिए म्यांमार, नेपाल, थाइलैंड, श्रीलंका, इंडोनेशिया, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) आदि जैसे देशों के साथ महानिदेशक स्तरीय वार्ताओं का आयोजन किया जा रहा है।

(ii) सीमा रक्षक बलों (बीएसएफ, असम राइफल्स और एसएसबी) को अंतरराष्ट्रीय सीमा पर मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के संबंध में तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी करने के लिए स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत शक्तियां प्रदान की गई हैं।

(iii) तटीय क्षेत्रों और गहरे समुद्र में मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने के लिए भारतीय तटरक्षक को स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अंतर्गत शक्तियां प्रदान की गई हैं।

(iv) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो मादक पदार्थों की तस्करी को नियंत्रित करने के उद्देश्य से संयुक्त अभियान चलाने के लिए नौसेना, तटरक्षक, सीमा सुरक्षा बल, राज्य एएनटीएफ आदि जैसी अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय करता है।

(v) बंदरगाह अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण किए जाते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंटेनरों सहित सभी सामानों की उचित जांच और मंजूरी के बाद ही उन्हें छोड़ा जाए।

(vi) तटरक्षक मादक पदार्थों की तस्करी का पता लगाने और उसे रोकने के लिए एनसीबी और बंदरगाह अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है।

(vii) समुद्री मार्गों के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी, चुनौतियां और समाधान (समुद्री सुरक्षा समूह-एनएससीएस) का विश्लेषण करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस) में एक उच्च स्तरीय समर्पित समूह का गठन किया गया है।

(viii) राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस) ने सहयोगी एजेंसियों के साथ समन्वय से भारत के समुद्री क्षेत्रों में तस्करी-रोधी अभियानों (एनडीपीएस पदार्थों सहित) के लिए समुद्री सुरक्षा समन्वय विषय पर एक मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की है।

(ix) एआई आधारित सुविधाओं, रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स उपकरणों, नाइट विजन उपकरणों, मोशन डिटेक्टरों और एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केंद्र से लैस उन्नत निगरानी ग्रिड की स्थापना।

(x) सीमा पार हवाई निगरानी/टोह/खोज/प्रभुत्व आदि के लिए ड्रोन आधारित क्षमताओं को संस्थागत रूप देना।

(xi) विदेशी राष्ट्रों के साथ आसूचना के आदान-प्रदान और नियंत्रित आपूर्ति (सीडी) संबंधी ऑपरेशनों का नियमित रूप से आयोजन किया जा रहा है।

(xii) स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों तथा प्रीकर्सर रसायनों की तस्करी को रोकने के लिए सूचना के आदान-प्रदान और जांच में सहायता के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने हेतु नियमित प्रयास किए जा रहे हैं।

(xiii) अंतरराष्ट्रीय सहयोग के एक भाग के रूप में, भारत ने स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) और रासायनिक प्रीकर्सरों की अवैध तस्करी के साथ-साथ संबंधित अपराधों से निपटने के लिए, 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों और 19 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

(xiv) भारत अंतरराष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण बोर्ड (आईएनसीबी) और इसके सभी कार्यक्रमों जैसेकि पीईएन (निर्यात-पूर्व अधिसूचना), पीआईसीएस (उत्प्रेरकों की घटना संबंधी संचार प्रणाली) और आईओएनआईसीएस (मनोवैज्ञानिक पदार्थों की घटना संबंधी नई संचार प्रणाली पर अंतरराष्ट्रीय ऑपरेशन) के साथ गहन रूप से जुड़ा हुआ है।

(xv) मादक पदार्थों की राष्ट्र-पारीय तस्करी से निपटने के लिए सूचना और आसूचना के आदान-प्रदान हेतु स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों जैसेकि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन-ड्रग ओफेंसिज मॉनीटरिंग डेस्क (सार्क-एसडीओएमडी), ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका (ब्रिक्स), कोलम्बो प्लान, दक्षिण-पूर्वी एशियाई राष्ट्र संगठन (आसियान), आसियान सीनियर ऑफिशियल ऑन ड्रग मैटर्स (एएसओडी), बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिमस्टेक), शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ), यूनाइटेड नेशन्स ऑफिस ऑन ड्रग एण्ड क्राइम (यूएनओडीसी), अंतर्राष्ट्रीय स्वापक नियंत्रण बोर्ड (आईएनसीबी) आदि के साथ समन्वय भी करता है।

(xvi) ऑपरेशनल और आसूचना संबंधी जानकारी के लिए एनसीबी, भारत अन्य देशों के विभिन्न मादक पदार्थ संपर्क (लाइजन) अधिकारियों जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका की मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन एजेंसी (डीईए), नेशनल क्राइम एजेंसी ऑफ दी यूनाइटेड किंगडम, कनाडा की रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस (आरसीएमपी), ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस (एएफपी), फ्रांस की ऑफिस एंटी-स्टुपेफिएंट (ओएफएएसटी) आदि के साथ रियल टाइम सूचना का आदान-प्रदान करता है।

वर्ष 2020 के दौरान जब्त किए गए मादक पदार्थों का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्योरा

2020	अफीम आधारित मादक पदार्थ	भांग आधारित मादक पदार्थ	कोकीन	सिंथेटिक ड्रग्स	
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	किग्रा. में	किग्रा. में	किग्रा. में	किग्रा. में	ब्लॉट में
अंडमान और निकोबार	0	96	0.00	66.39	0
आंध्र प्रदेश	0	97826	0.00	4.35	0
अरुणाचल प्रदेश	21	2843	0.00	0.00	0
असम	44	16485	1.34	12.83	0
बिहार	2817	16796	0.00	0.83	0
चंडीगढ़	31	129	0.00	0.00	0
छत्तीसगढ़	322	36211	0.02	0.00	0
दमण और दीव	0	8	0.00	0.00	0
गोवा	0	136	0.32	1.24	45
गुजरात	10124	7974	0.00	92.81	0
हरियाणा	15022	9319	0.01	0.00	0
हिमाचल प्रदेश	1787	559	0.01	0.00	77
जम्मू और कश्मीर	24001	2270	0.00	0.00	0
झारखंड	96637	7746	0.00	0.00	0
कर्नाटक	10	21657	3.11	2.97	5977
केरल	0	3085	0.07	1.10	62
मध्य प्रदेश	57200	20259	0.00	1.83	0
महाराष्ट्र	543	26410	6.30	8.32	46
मणिपुर	1582	139	0.00	213.55	0
मेघालय	109	945	0.00	0.38	0
मिजोरम	20	125	0.00	594.27	0
नागालैंड	9	880	0.00	0.00	0
दिल्ली	1053	43692	7.85	384.66	0
ओडिशा	35	138432	0.00	0.00	0
पुडुचेरी	0	13	0.00	0.00	0
पंजाब	35412	872	0.01	1.10	0
राजस्थान	141310	14826	0.01	112.16	0
सिक्किम	1	0	0.00	0.00	0
तमिलनाडु	100	16250	0.38	484.76	368
तेलंगाना	0	17986	0.02	0.18	70
त्रिपुरा	75	12724	0.00	0.00	0
उत्तर प्रदेश	10543	40625	0.00	0.00	0
उत्तराखंड	357	1520	0.00	0.00	0
पश्चिम बंगाल	2796	25979	0.00	233.72	0
कुल	4,02,684	5,88,304	19	2,217	6,645

मादक पदार्थ का प्रकार	मादक पदार्थ का नाम
अफीम आधारित मादक पदार्थ	अफीम, हेरोइन, मॉर्फिन, पोपी स्ट्रॉ, कोडीन आदि
भांग आधारित मादक पदार्थ	गांजा, हशीश, हशीश तेल आदि
कोकीन	कोकीन
सिंथेटिक ड्रग्स	एटीएस, एमडीएमए, मेथाक्वालोन, मेस्केलिन, एलएसडी, मेफेड्रोन, केटामाइन आदि।

जारी...

लोक सभा अता. प्र.सं. 634 दिनांक 03.02.2026
अनुलग्नक-।

वर्ष 2021 के दौरान जब्त किए गए मादक पदार्थों का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्योरा

2021	अफीम आधारित मादक पदार्थ	भांग आधारित मादक पदार्थ	कोकीन	सिंथेटिक ड्रग्स	
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	किग्रा. में	किग्रा. में	किग्रा. में	किग्रा. में	किग्रा. में
अंडमान और निकोबार	0	26	0	33	0
आंध्र प्रदेश	0	201008	0	0	3
अरुणाचल प्रदेश	20	2623	0.10	0	0
असम	152	31662	0.29	19	0
बिहार	1634	33998	0	0	16
चंडीगढ़	559	222	10	0	0
छत्तीसगढ़	4	34604	0.01	0	0
दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	0	22	0	0	0
गोवा	0.03	129	0.13	0.82	187
गुजरात	6420	18327	0.07	29	0
हरियाणा	7228	11621	0	0	0
हिमाचल प्रदेश	2073	1000	0	0.00	55
जम्मू और कश्मीर	19405	1617	0	0	0
झारखंड	84424	10429	0	0	0
कर्नाटक	78	9449	3	35	1477
केरल	345	4585	0.53	5	831
लद्दाख	0.40	1	0	0	0
मध्य प्रदेश	78296	33812	0	73	0
महाराष्ट्र	681	31195	17	85	2928
मणिपुर	1323	1322	0	31	0
मेघालय	5	2266	0	13	0
मिजोरम	35	322	0	166	0
नागालैंड	148	1957	0	0.80	0
दिल्ली	858	14649	8	84	639
ओडिशा	522	171713	0	0	0
पुडुचेरी	0	35	0	0	0
पंजाब	33518	2638	6	0	0
राजस्थान	413341	13300	0.04	61	0
सिक्किम	0.59	1	0	0	0
तमिलनाडु	351	22097	303	20	99
तेलंगाना	417	41428	0.22	0.18	79
त्रिपुरा	4	45848	0	0	0
उत्तर प्रदेश	2138	39885	12	0	0
उत्तराखंड	277	1884	0	0	0
पश्चिम बंगाल	2494	31178	4	4	0
कुल	656752	816854	364	658	6314

मादक पदार्थ का प्रकार	मादक पदार्थ का नाम
अफीम आधारित मादक पदार्थ	अफीम, हेरोइन, मॉर्फिन, पोपी स्ट्रॉ, कोडीन आदि
भांग आधारित मादक पदार्थ	गांजा, हशीश, हशीश तेल आदि
कोकीन	कोकीन
सिंथेटिक ड्रग्स	एटीएस, एमडीएमए, मेथाक्वालोन, मेस्केलिन, एलएसडी, मेफेड्रोन, केटामाइन आदि।

जारी...

लोक सभा अता. प्र.सं. 634 दिनांक 03.02.2026
अनुलग्नक-।

वर्ष 2022 के दौरान जब्त किए गए मादक पदार्थों का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्योरा

2022	अफीम आधारित मादक पदार्थ	भांग आधारित मादक पदार्थ	कोकीन	सिंथेटिक ड्रग्स	
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**किग्रा. में**	**किग्रा. में**	**किग्रा. में**	**किग्रा. में**	**किग्रा. में**
अंडमान और निकोबार	0	40	0	19	0
आंध्र प्रदेश	1	99601	0.02	0.16	0
अरुणाचल प्रदेश	23	3342	0	0	0
असम	483	67825	0.02	32	0
बिहार	2550	23173	0	0	0
चंडीगढ़	700	120	0	1	0
छत्तीसगढ़	2	28127	0.01	0.03	0
दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	0	4	0	0.23	0
गोवा	0.39	233	0.33	1	0
गुजरात	13873	13773	54	549	0
हरियाणा	13349	13801	0.01	0	0
हिमाचल प्रदेश	19816	525	0.01	0.02	1
जम्मू और कश्मीर	17493	1848	0	4	0
झारखंड	25388	6605	0	0	0
कर्नाटक	70	8318	8	57	10
केरल	442	3738	0.02	10	658
लद्दाख	0	2	0	0	0
मध्य प्रदेश	67212	24558	0	10	0
महाराष्ट्र	21734	16062	89	2748	167
मणिपुर	4395	5136	0	255	0
मेघालय	12	5040	0	0.77	0
मिजोरम	82	306	0	332	0
नागालैंड	101	2418	0	9	0
दिल्ली	776	4857	52	29	0
ओडिशा	1107	184109	0.40	0	0
पुडुचेरी	0	61	0	0	0
पंजाब	48309	2105	0.19	0.50	0
राजस्थान	165778	9618	0.04	14	0
सिक्किम	0.47	2	0	0	0
तमिलनाडु	218	9021	7	113	0
तेलंगाना	15	31740	5	26	314
त्रिपुरा	8	84576	0	0	0
उत्तर प्रदेश	2477	46173	0.11	10	0
उत्तराखंड	109	1471	0.01	0.05	0
पश्चिम बंगाल	4451	23647	0.50	2	0
कुल	410975	721974	218	4224	1150

मादक पदार्थ का प्रकार	**मादक पदार्थ का नाम**
अफीम आधारित मादक पदार्थ	अफीम, हेरोइन, मॉर्फिन, पोपी स्ट्रॉ, कोडीन आदि
भांग आधारित मादक पदार्थ	गांजा, हशीश, हशीश तेल आदि
कोकीन	कोकीन
सिंथेटिक ड्रग्स	एटीएस, एमडीएमए, मेथाक्वालोन, मेस्केलिन, एलएसडी, मेफेड्रोन, केटामाइन आदि।

जारी...

लोक सभा अता. प्र.सं. 634 दिनांक 03.02.2026

अनुलग्नक-।

<u>वर्ष 2023 के दौरान जब्त किए गए मादक पदार्थों का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्योरा</u>

2023	**अफीम आधारित मादक पदार्थ**	**भांग आधारित मादक पदार्थ**	**कोकीन**	**सिंथेटिक ड्रग्स**	
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**किग्रा. में**	**किग्रा. में**	**किग्रा. में**	**किग्रा. में**	**किग्रा. में**
अंडमान और निकोबार	0	88	1	245	0
आंध्र प्रदेश	2	53824	5	1	0
अरुणाचल प्रदेश	292	1379	0	0	0
असम	358	37273	1	72	0
बिहार	26179	13259	0	1	0
चंडीगढ़	2035	103	0.07	0.21	0
छत्तीसगढ़	58	23713	0	0.02	0
दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	0	8	0	0	0
गोवा	0.25	173	1	1	2534
गुजरात	10496	12539	87	73	30
हरियाणा	29705	7136	31	0.00	0
हिमाचल प्रदेश	811	557	0.01	0.02	1
जम्मू और कश्मीर	8927	1379	1	0.16	0
झारखंड	54071	4604	0	1	0
कर्नाटक	155	10521	20	66	572
केरल	2	3105	4	2543	770
लक्षद्वीप	0	1	0	0	0
मध्य प्रदेश	114969	16547	0	2	0
महाराष्ट्र	758	19034	71	697	121
मणिपुर	308	491	0	16	0
मेघालय	21	1448	0	17	0
मिजोरम	151	287	0	277	0
नागालैंड	87	1172	0	1	0
दिल्ली	847	3816	62	44	29013
ओडिशा	87	212777	0	0	0
पुडुचेरी	0	129	0	0	0
पंजाब	44900	1868	0.09	1	0
राजस्थान	237672	56648	0.34	13	0
सिक्किम	0.33	1	0	0	0
तमिलनाडु	13	6806	3	85	2670
तेलंगाना	27	31185	1	4	9
त्रिपुरा	22	49053	0	2	0
उत्तर प्रदेश	20196	39401	0	78	0
उत्तराखंड	212	1720	0	0	0
पश्चिम बंगाल	484	19942	4	0.21	0
कुल	553846	631987	292	4240	35720

मादक पदार्थ का प्रकार	**मादक पदार्थ का नाम**
अफीम आधारित मादक पदार्थ	अफीम, हेरोइन, मॉर्फिन, पोपी स्ट्रॉ, कोडीन आदि
भांग आधारित मादक पदार्थ	गांजा, हशीश, हशीश तेल आदि
कोकीन	कोकीन
सिंथेटिक ड्रग्स	एटीएस, एमडीएमए, मेथाक्वालोन, मेस्केलिन, एलएसडी, मेफेड्रोन, केटामाइन आदि।

जारी...

लोक सभा अता. प्र.सं. 634 दिनांक 03.02.2026
अनुलग्नक-।

वर्ष 2024 के दौरान जब्त किए गए मादक पदार्थों का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्योरा

2024	अफीम आधारित मादक पदार्थ	भांग आधारित मादक पदार्थ	कोकीन	सिंथेटिक ड्रग्स	
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**किग्रा. में**	**किग्रा. में**	**किग्रा. में**	**किग्रा. में**	**किग्रा. में**
अंडमान और निकोबार	5	63	1	6042	0
आंध्र प्रदेश	1	54183	0	92	0
अरुणाचल प्रदेश	114	2518	0	0	0
असम	364	26217	0.36	78	0
बिहार	4859	18551	4	1	0
चंडीगढ़	122	53	0.13	1	0
छत्तीसगढ़	6322	25949	0.01	0.01	0
दमण और दीव	0	2	0	0	0
गोवा	0.07	270	0.82	5	1825
गुजरात	8332	10290	13	932	19
हरियाणा	11241	10171	4	0	0
हिमाचल प्रदेश	733	404	0.01	0.02	0
जम्मू और कश्मीर	3676	1540	0	3	0
झारखंड	70099	6618	0	0	0
कर्नाटक	137	9696	14	59	61
केरल	13764	4494	0.01	26	924
मध्य प्रदेश	130241	15544	0.05	1082	0
महाराष्ट्र	471	55435	37	2191	10
मणिपुर	42	130	0	49	0
मेघालय	6	5439	0	0.02	0
मिजोरम	134	742	0	849	0
नागालैंड	60	545	0	1	0
दिल्ली	1465	4967	1396	50	0
ओडिशा	190	143761	0	0	0
पुडुचेरी	0	48	0	0	0
पंजाब	43566	969	2	21	0
राजस्थान	215155	15202	0.22	152	10
सिक्किम	2	0	0	0	0
तमिलनाडु	0.03	7626	7	112	3905
तेलंगाना	115	24547	1	118	132
त्रिपुरा	9	29530	0	90	0
उत्तर प्रदेश	8859	42048	1	123	0
उत्तराखंड	503	2209	0.37	1	2058
पश्चिम बंगाल	778	21052	1	7	0
कुल	521365	540810	1483	12084	8944

मादक पदार्थ का प्रकार	**मादक पदार्थ का नाम**
अफीम आधारित मादक पदार्थ	अफीम, हेरोइन, मॉर्फिन, पोपी स्ट्रॉ, कोडीन आदि
भांग आधारित मादक पदार्थ	गांजा, हशीश, हशीश तेल आदि
कोकीन	कोकीन
सिंथेटिक ड्रग्स	एटीएस, एमडीएमए, मेथाक्वालोन, मेस्केलिन, एलएसडी, मेफेड्रोन, केटामाइन आदि।

जारी...

लोक सभा अता. प्र.सं. 634 दिनांक 03.02.2026

अनुलग्नक-।

वर्ष 2025 (नवम्बर तक) के दौरान जब्त किए गए मादक पदार्थों का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्योरा

2025	अफीम आधारित मादक पदार्थ	भांग आधारित मादक पदार्थ	कोकीन (किग्रा. में)	सिंथेटिक ड्रग्स	
राज्य/ मादक पदार्थ	**किग्रा. में**	**किग्रा. में**	**किग्रा. में**	**किग्रा. में**	**ब्लॉट में**
अंडमान और निकोबार	0	80	1.11	53	0
आंध्र प्रदेश	0	44182	0.04	21	57
अरुणाचल प्रदेश	33	7002	0.00	0	0
असम	366	14924	0.00	152	0
बिहार	1510	10009	0.00	0	0
चंडीगढ़	69	21	0.26	0	5
छत्तीसगढ़	1510	15235	0.00	0	0
दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	0	5	0.00	0	0
गोवा	0	215	5.88	2	0
गुजरात	7232	8583	4.81	326	0
हरियाणा	17383	6258	1.12	1	0
हिमाचल प्रदेश	719	422	0.00	0	0
जम्मू और कश्मीर	2062	1957	0.00	0	0
झारखंड	29329	3103	0.00	0	0
कर्नाटक	3	6746	12.52	145	808
केरल	2	5686	5.12	30	1445
लद्दाख	0	3	0.00	0	0
लक्षद्वीप	0	0	0.00	0	0
मध्य प्रदेश	70710	16444	0.18	115	0
महाराष्ट्र	3937	21091	107.58	515	50
मणिपुर	458	1013	0.00	372	0
मेघालय	5	911	0.00	25	0
मिजोरम	358	218	0.00	1346	0
नागालैंड	38	577	0.00	0	0
दिल्ली	1032	6996	54.56	106	1
ओडिशा	205	215165	0.00	0	14
पुडुचेरी	0	342	0.00	0	0
पंजाब	36387	1055	4.16	24	0
राजस्थान	155835	58146	0.22	53	28
सिक्किम	3	0	0.00	0	0
तमिलनाडु	1	19968	15.60	52	51
तेलंगाना	75	23693	1.27	3	228
त्रिपुरा	5	24820	0.00	119	0
उत्तर प्रदेश	9504	39645	3.51	6	0
उत्तराखंड	134	2579	0.02	6	2091
पश्चिम बंगाल	3120	32456	3.13	11	0
कुल	**342029**	**589548**	**221**	**3484**	**4778**

मादक पदार्थ का प्रकार	**मादक पदार्थ का नाम**
अफीम आधारित मादक पदार्थ	अफीम, हेरोइन, मॉर्फिन, पोपी स्ट्रॉ, कोडीन आदि
भांग आधारित मादक पदार्थ	गांजा, हशीश, हशीश तेल आदि
कोकीन	कोकीन
सिंथेटिक ड्रग्स	एटीएस, एमडीएमए, मेथाक्वालोन, मेस्केलिन, एलएसडी, मेफेड्रोन, केटामाइन आदि।

स्रोत: स्वापक नियंत्रण ब्यूरो

जारी...

लोक सभा अता. प्र.सं. 634 दिनांक 03.02.2026
अनुलग्नक-।।

वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान 'स्वापक नियंत्रण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता' योजना के तहत बजट आवंटन

वित्तीय वर्ष	आवंटित बजट (करोड़ रुपये में)
2021-22	5.00
2022-23	5.00
2023-24	1.00
2024-25	5.00
2025-26	13.00

वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान 'स्वापक नियंत्रण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता' योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्योरा

(रुपये में)

क्र.सं.	राज्यों के नाम	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
1	असम	3571750	0	0	5357625	14317055
2	बिहार	42212	0	0	63318	0
3	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	4605000
4	गुजरात	0	0	0	0	4261011
5	हरियाणा	0	0	0	0	5500000
6	हिमाचल प्रदेश	0	440000	0	660000	2222727
7	झारखंड	3768638	0	0	0	0
8	कर्नाटक	0	17315589	0	25973383	25973383
9	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	7949317
10	मिजोरम	0	3736000	0	5604000	19359675
11	नागालैंड	0	0	0	0	9244000
12	ओडिशा	978987	0	0	1468478	14335591
13	राजस्थान	3574227	0	0	5361340	5361340
14	तमिलनाडु	0	0	0	0	2011492
15	तेलंगाना	0	2130643	0	3195965	0
16	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	7151249